भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2509

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"रेडीमेड परिधानों पर जीएसटी दर में बदलाव"

2509. **श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेडीमेड परिधान और वस्त्र सहायक उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव किया है, जिसके परिणामस्वरूप 2,500 रुपये से अधिक मूल्य वाले सामानों पर कर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, यदि हाँ, तो 2,500 रुपये का सीमा मूल्य तय करने के पीछे क्या तर्क है;

(ख) क्या मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के सामर्थ्य, संगठित खुदरा और श्रम-सघन परिधान इकाइयों पर इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दर वृद्धि से होने वाली अतिरिक्त राजस्व कमाई का कोई अनुमान लगाया है और यह कमाई प्रभावित क्षेत्रों में मांग या उत्पादन में संभावित कमी को किस प्रकार कवर करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पारंपरिक वस्त्र श्रमिकों, कारीगरों और घरेलू निर्माताओं पर उक्त जीएसटी बदलावों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वस्त्र/हैंडलूम इकाइयों के लिए कम जीएसटी स्लैब, प्रोत्साहन स्कीम एं या मांग बढ़ाने के लिए सहायक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग): अनुच्छेद 279-क के अनुसार जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में मौजूदा 12% स्लैब को हटाकर एक सरलीकृत दो स्लैब संरचना की सिफारिश करने के क्रम में 2500 रुपये प्रति नग से अधिक विक्रय मूल्य वाले परिधान और वस्त्र सहायक सामग्रियों तथा अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की थी । इसके अलावा इस परिषद ने परिधान और वस्त्र सहायक सामग्रियों पर रियायती जीएसटी की 5% दर के लिए थ्रेसहोल्ड मूल्य को 1000 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति नग करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त हाथ से बने/हाथ से कढ़ाई किए गए शॉल पर जीएसटी की दर 5% पर बरकरार रखी

गई है और इसके लिए थ्रेसहोल्ड मूल्य सीमा को हटा दिया गया है। हाथ से कढ़ाई किए गए परिधान जैसे कि पट्टियों/रूपांकनों में कढ़ाई, हस्तनिर्मित लेस आदि पर 5% जीएसटी लगता रहेगा। इससे सामर्थ्य में सुधार होने और उपभोग मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो वस्त्र निर्माण की श्रम-प्रधान प्रकृति को देखते हुए रोजगार को सतत बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक होगा। जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित दरों में परिवर्तन को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। सितंबर में दरों के सुसंगतिकरण के पश्चात अक्टूबर 2025 के लिए एकत्रित सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व ₹ 1,95,936 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% अधिक है।

(घ): जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर मानव निर्मित रेशों और धागों पर जीएसटी की दर क्रमशः 18% और 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे एमएसएमई के वस्त्र विनिर्माताओं और निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है।

इस दर में कमी को सरकार की मौजूदा प्रमुख स्कीम/पहल से और भी बल मिलता है, जिनमें आधुनिक, एकीकृत और विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्कस्कीम; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर केंद्रित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम; अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की स्कीम जिसका उद्देश्य मांग-आधारित, रोजगार उन्मुख और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना है; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2 और हथकरघा क्षेत्र को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम। वस्त्र मंत्रालय भी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम भी लागू कर रहा है।

इसके अलावा सरकार परिधान/वस्त्र और तैयार कपड़ों के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) और अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम भी चला रही है।

***